कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण–कक्ष) मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/ 657 भोपाल, दिनांक 6/4/02

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

समस्त क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान,

समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी)

मध्यप्रदेश।

विषयः–जप्त वाहनों के राजसात बाबत्।

------0------

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) कक्ष से संरक्षण की समीक्षा बावत् 17 प्रपत्र निर्धारित किये गये है जिसको मासिक रूप से वनमण्डलाधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए तथा जानकारी के साथ समीक्षा प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाना चाहिए। परन्तु समीक्षा तो दूर इन प्रपत्रों में मुख्यालय को जानकारी भी प्राप्त नहीं हो रही है। जानकारी के अभाव में गत एक वर्ष से मुख्यालय स्तर से भी समीक्षा नहीं की जा सकी है।

उपरोक्त कार्यवाही को संपादित करने हेतु सुविधा की दृष्टि से संरक्षण मॉनीटरिंग साफ्टवेयर भी समस्त [illegible] (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी) तथा वनमण्डलाधिकारियों को प्रदाय किया गया [illegible] त होने के बाद भी अभी [illegible] वनमण्डल से [illegible] जानकारी भेजी गई। इससे आपको [illegible] कार्य की गंभीरता स्वतः प्रतिपादित होती है।

मुख्यालय स्तर [illegible] त हो रही है कि वर्ष में हजारों वाहन जप्त किये जाते है, परन्तु इन जप्त वाहनों में से [illegible] कुछ ही वाहन राजसात [illegible] इसका अर्थ स्पष्ट है कि या तो प्रकरण को बिना परीक्षण किये राजसात की प्रक्रिया में लिया जाता है अथवा प्रकरण को न्यायालयीन अधिकार मानते हुए मौनानुकुलता एवं अन्य प्रावधान के तहत कुछ महीनों के बाद नियमों की सही विवेचना के अभाव में छोड़ दिया जाता है। इसमें उप वनमण्डलाधिकारी स्तर से अधिकांशतः ऐसी स्थिति बन रही है।

कुछ प्रकरण ऐसे भी प्रकाश में आए है जहाँ वाहन को उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्मुक्त किया गया है तथा जप्त होने एवं निमुक्त होने की सूचना वनमण्डलाधिकारी तक को नहीं है। अधिनियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि राजसात की कार्यवाही शुरू करने एवं राजसात के अंतिम आदेश की सूचना अपीलीय अधिकारी व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को आवश्यक रूप से दी जानी चाहियें। इस सूचना के आधार पर अपीलीय अधिकारी को

प्रावधानों के तहत अपील सुनने एवं स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकारी मिलता है वन संरक्षक भी इस अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। मौखिक रूप से चर्चा में बताते है कि प्राधिकृत अधिकारी मनमाने तरीके से वाहन छोड़ते है जो उचित नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के आदेश प्राप्त होने के 30 दिन में प्रकरण की स्वमेव समीक्षा कर वन संरक्षक को निर्णय लेना चाहिए।

अतः निर्देशित किया जाता है कि :-

1– तत्काल मासिक बैठक में वन मण्डलाधिकारी व वन संरक्षक अपने वनमण्डल जप्त वाहनों की नियमित समीक्षा करें।

2– वाहन राजसात की प्रक्रिया शुरू करने की सूचना मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को देने के साथ ही वनमण्डलाधिकारी को पूर्ण प्रकरण भेजें। वनमण्डलाधिकारी प्रकरण में निर्णय लेगें कि प्राधिकृत अधिकारी की कार्यवाही स्वयं वनमण्डलाधिकारी करेगें अथवा उप वनमण्डलाधिकारी । जैसा कि जिला न्यायालय में समान अधिकार होने पर प्रकरण की सुनवाई का प्रशासकिय अधिकार जिला जज को है कि प्रकरण जिला जज या अतिरिक्त जिला जज में से कौन करेंगा।

3– समस्त जप्त वाहन, राजसात वाहन एवं राजसात की प्रक्रिया के तहत वाहनों की समीक्षा नियमित रूप से वन संरक्षक करेगें। इस समीक्षा में अपील के अंतर्गत प्रकरणों की समीक्षा वन सरक्षक करेंगें।

4– 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2002 तक के समस्त प्रकरणों की यह समीक्षा 30 अप्रैल से पूर्व आवश्यक रूप से संपादित कर वन संरक्षक समीक्षा प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) को भेजेगें।

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) कक्ष मानीटरिंग साफ्टवेयर के तहत निर्धारित समस्त जानकारियों की समीक्षा करेंगें जिससे वन संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुदद‌े को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही कर वनों की सुरक्षा की जा सकें। इन प्रकरणों में वन चोरी, अतिक्रमण एवं वन्य प्राणी शिकार आदि के प्रकरण शामिल रहेगें।

16/4/02

(डा. पुष्पीसिंह राणा)

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन/ 658   भोपाल, दिनांक 16/4/

प्रतिलिपि:— प्रधान मुख्य वन संरक्षक को 15 अप्रैल 2002 की चर्चा के संदर्भ में सूचनार्थ।

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश, भोपाल